

लीज अवधि प्रमाण-प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 132 के0वी0 पिपरी-सोननगर लीलो @ म्योरपुर डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण हेतु जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित 132 के0वी0 डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण से वन प्रभाग, रेनुकूट की 16.8912 हे0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी, जिसे 30 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर लेने की आवश्यकता है। अतः प्रभावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रिमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रिमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की वचनबद्धता दी जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा जो मूल्य/प्रिमियम/लीज रेंट निर्धारित किया जायेगा उसे समय-समय पर भुगतान किया जायेगा।

Ashok
29/1/22
Executive Engineer
(प्राधिकृत, हेराल्डगंज)
U.P. Power Corporation Ltd.
Robertsganj

विद्युत पारेषण खण्ड
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0
राबर्ट्सगंज